भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2339

04.08.2025 को उत्तर के लिए

वन आवरण का विकास

2339. डॉ. निशिकान्त दुबे :
श्री के. गोपीनाथ :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तमिलनाडु और झारखंड सहित वनावरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और झारखंड सहित देश में वनावरण में वृद्धि/कमी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राज्यों सहित देश में वनावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त राज्यों में वनावरण में परिवर्तन की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और झारखंड सहित देश के विभिन्न शहरों में वनावरण बढ़ाने और नए वन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास उपयोगिता के आधार पर वनावरण बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु और झारखंड में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, देश के वन और वृक्ष आवरण का द्विवार्षिक आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण का आकलन रिमोट सेसिंग आधारित वाल-टू-वाल मानचित्रण की प्रक्रिया है जिसे गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों द्वारा समर्थित किया गया है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार देश का वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। पिछले चार वर्षों में वनावरण - आईएसएफआर 2019 में 7,12,249.00 वर्ग किलोमीटर की तुलना में बढ़कर आईएसएफआर 2023 में 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर हो गया है। आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2023 के बीच देश के वनावरण में 3,093.61 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जिसमें तमिलनाडु में 86.22 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 154.78 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है।

देश के वन आवरण में वृद्धि का श्रेय संरक्षण प्रयासों के कारण प्राकृतिक वनस्पति वृद्धि, वनीकरण पहलों, वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा, वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों की वृद्धि और झूम खेती के अंतर्गत भूमि के पुनर्जनन जैसे कारकों को दिया जाता है। तमिलनाडु और झारखंड राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन आवरण का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) से (च) वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है। देश में वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए कानूनी तंत्र मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम एवं नियम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वनों की सुरक्षा संबंधी परमर्शिकाएं जारी करता है। वन एवं वृक्ष आवरण में परिवर्तन की निगरानी के लिए, एफएसआई, उपग्रह डेटा के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सत्यापन का उपयोग करते हुए, सम्पूर्ण देश में द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है।

इसके अलावा, नगर वन योजना (एनवीवाई) में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान तमिलनाडु और झारखंड राज्यों सहित देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न शहरों में और उनके आसपास हरित आवरण को बढ़ाना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने तमिलनाडु और झारखंड राज्यों सहित 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नगर वन योजना के अंतर्गत कुल 385 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पिछले तीन वर्षों में नगर वन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (एफपीएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास और तटरेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शामिल हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत भी वनीकरण किया जाता है।

उपरोक्त योजनाएँ और कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है और इन योजनाओं के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत संचालन की वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर अनुमोदन दिए जाते हैं। हालाँकि, मिष्टी कार्यक्रम तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नष्ट हुए मैंग्रोव के पुनर्स्थापन के लिए है।

उपरोक्त के अलावा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए "एक पेड़ माँ के नाम #Plant4Mother" नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान ने देश में हरित आवरण को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है।

*****

अनुबंध-I

"वन आवरण का विकास" के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री के. गोपीनाथ द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2339 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2023 में वन आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वन आवरण (आईएसएफआर 2019)**	**वन आवरण (आईएसएफआर 2023)**	**वन आवरण में परिवर्तन**
1	आंध्र प्रदेश	29,137.00	30,084.96	947.96
2	अरुणाचल प्रदेश	66,688.00	65,881.57	-806.43
3	असम	28,327.00	28,313.555	-13.45
4	बिहार	7,306.00	7,532.45	226.45
5	छतीसगढ	55,611.00	55,811.75	200.75
6	दिल्ली	195.44	195.28	-0.16
7	गोवा	2,237.00	2,265.72	28.72
8	गुजरात	14,857.00	15,016.64	159.64
9	हरियाणा	1,602.00	1,614.26	12.26
10	हिमाचल प्रदेश	15,434.00	15,580.35	146.35
11	**झारखंड**	**23,611.00**	**23,765.78**	**154.78**
12	कर्नाटक	38,575.00	39,254.27	679.27
13	केरल	21,144.00	22,059.36	915.36
14	मध्य प्रदेश	77,482.00	77,073.44	-408.56
15	महाराष्ट्र	50,778.00	50,858.53	80.53
16	मणिपुर	16,847.00	16,585.46	-261.54
17	मेघालय	17,119.00	16,966.84	-152.16
18	मिजोरम	18,006.00	17,990.46	-15.54
19	नागालैंड	12,486.00	12,222.47	-263.53
20	ओडिशा	51,619.00	52,433.56	814.56
21	पंजाब	1,849.00	1,846.09	-2.91
22	राजस्थान	16,630.00	16,548.21	-81.79
23	सिक्किम	3,342.00	3,358.40	16.40
24	**तमिलनाडु**	**26,364.00**	**26,450.22**	**86.22**
25	तेलंगाना	20,582.00	21,179.04	597.04
26	त्रिपुरा	7,726.00	7,584.77	-141.23
27	उत्तर प्रदेश	14,806.00	15,045.80	239.80
28	उत्तराखंड	24,303.00	24,303.83	0.83
29	पश्चिम बंगाल	16,902.00	16,832.33	-69.67
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6,743.00	6,732.92	-10.08
31	चंडीगढ़	22.03	25	2.97
32	दादरा एवं नगर हवेली	207	225.62	18.62
	दमन एवं दीव	20.49		-20.49
33	जम्मू एवं कश्मीर	21,122.00	21,346.39	224.39
34	लद्दाख	2,490.00	2,285.92	-204.08
35	लक्षद्वीप	27.1	27.06	-0.04
36	पुदुचेरी	52.41	44.31	-8.10
	कुल योग	**7,12,249.00**	**7,15,342.61**	**3,093.61**

*****

अनुबंध-II

"वन आवरण का विकास" के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री के. गोपीनाथ द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2339 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में नगर वन योजना के तहत स्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाएँ

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	3	45	11	59
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
3	बिहार	4	0	0	4
4	चंडीगढ़	1	0	0	1
5	गुजरात	6	0	1	7
6	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4
7	जम्मू एवं कश्मीर	15	0	23	38
8	**झारखंड**	**26**	**0**	**0**	**26**
9	कर्नाटक	0	4	19	23
10	मध्य प्रदेश	16	0	39	55
11	महाराष्ट्र	3	0	0	3
12	मेघालय	2	0	0	2
13	मिजोरम	14	0	0	14
14	नागालैंड	0	24	0	24
15	पंजाब	0	10	0	10
16	राजस्थान	8	1	9	18
17	सिक्किम	5	0	4	9
18	**तमिलनाडु**	**5**	**0**	**0**	**5**
19	तेलंगाना	46	0	14	60
20	उत्तर प्रदेश	1	0	7	8
21	उत्तराखंड	2	0	0	2
22	पश्चिम बंगाल	2	10	0	12
	कुल	**164**	**94**	**127**	**385**

*****